जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित

प्रबन्ध निदेशक ने विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की विस्तार से समीक्षा की

जयपुर, 11 मई। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ऐ.के.गुप्ता की अध्यक्षता में शनिवार 11 मई को विद्युत भवन में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजत हुई, जिसमें डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति, विद्युत आपूर्ती व्यवस्था सहित विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में निदेशक तकनीकी, निदेशक वित्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता, संभागीय मुख्य अभियन्ता सहित निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 12 जिलों के अधीक्षण अभियन्ता उपस्थित रहे।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ऐ.के.गुप्ता ने वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि उदय योजना के तहत निगम के एटीएण्डसी लॉस को 15 प्रतिशत तक लाने के साथ ही एसीएस एवं एआरआर के अन्तर को कम करते हुए शून्य पर लाना है तथा बकाया राशि की वसूली व शत–प्रतिशत राजस्व वसूली का लक्ष्य रख कर प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सिस्टम में इस तरह की व्यवस्था की जाए कि सब–डिवीजन के अनुसार प्रति यूनिट आपूर्ती का खर्चा व राजस्व की प्राप्ति की सूचना मिल सके। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत आपूर्ती की स्थिति के बारे में स्थानीय स्तर पर फीडबैक ले और सुचारु विद्युत आपूर्ती किया जाना सुनिश्चित करवाएं। लक्षित सभी लम्बित कृषि कनेक्शन जून माह तक जारी किए जाए और यदि कोई आवेदक कनेक्शन का सामान नही लेकर जा रहा है तो उसे 7 दिन का नोटिस दिया जाए कि वह सामान लेकर जाए अन्यथा निगम स्वयं सामान भेजकर कनेक्शन जारी करेगा।

श्री गुप्ता ने अभियन्ताओं को निर्देश दिए कि किसानों को दिन में ही दो ब्लॉक में बिजली आपूर्ती दिए जाने हेतु सिस्टम को सुदृढ करने के प्रस्ताव शीघ्र भिजवाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायतों के तुरन्त निवारण के लिए प्रत्येक सब–डिवीजन पर लगाई हुई एफआरटी गाड़ियों में एक निगम कर्मचारी भी लगाया जाए और सहायक अभियन्ता प्रतिदिन यह देखे की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उनमें से कितनी का निस्तारण किया जा चुका है इसकी वे नियमित रुप से मॉनिटरिंग करें। उन्होंने निर्देश दिए कि औद्योगिक फीडरों पर 2 प्रतिशत से अधिक लॉस नही हो व ट्रिपिंग नही आनी चाएिए तथा कनेक्शन निर्धारित 8 दिवस की अवधि में जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही अधीक्षण अभियन्ता साल में एक बार सर्किल स्टोर का एवं सहायक अभियन्ता उपखण्ड स्टोर का भौतिक सत्यापन करेगें और उसकी रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें। विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।

आज आयोजित बैठक में आईपीडीएस, डीडीयूजीजेवाई योजना, सौभाग्य योजना, रेवेन्यू मेनेजमेन्ट सिस्टम, पीएचईडी के कनेक्शन जारी करने, कुसुम योजना, कृषि फीडर्स पर एएमआर मीटर लगाने, कनेक्शन व अन्य कार्यों के लिए मैटेरियल की सुचारु आपूर्ती, कन्ज्यूमर इण्डेक्सिंग, सिंगल फेस व थ्री फेस डिफेक्टिव मीटर को बदलने, पुरानी बकाया राशि की वसूली सहित डिस्ट्रीब्यूस लॉस आदि की सर्किल वाईज समीक्षा की गई।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 881/2019